राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

C-7(A) Sulthan House, Sawai jai singh Highway, Banipark, Jaipur – 302016

Website : https://rsahcouncil.org , Contact : 0141-4004914 Email-id affiliation@rsahcouncil.org

क्रमांकःपं. / राज.स्टेट.अ.हैल्थकेयर कौं. / मान्यता / 2025 / 294 दिनांक :– 17/07/2025

—::परिपत्र::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 20 (1) चिस्वा / ग्रुप–3 / 2023 जयपुर दिनांक 30.08.2024 द्वारा दी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एण्ड हैल्थकेयर प्रोफेशनल अधिनियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल का गठन किया जा चुका है।

नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एण्ड हैल्थकेयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 की अनुसूची [Section 2(r)] में उल्लेखित अलाइड हैल्थकेयर पाठ्यक्रमों में 10 रिकोग्नाईज केटेगरी कोर्स को अंकित कर 54 प्रकार के अलाइड एण्ड हैल्थकेयर प्रोफेशनल का उल्लेख किया गया है, जिनमें उल्लेखित अलाइड हैल्थकेयर पाठ्यक्रमों में क्रम संख्या 3 पर फिजियोथैरेपी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम भी अंकित है।

कौंसिल के संज्ञान में आया है कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत मान्यता के संबंध में जारी अधिनियम के तहत् गठित विश्वविद्यालयों द्वारा फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम में ड़िप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है।

नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एण्ड हैल्थकेयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 के प्रावधानों अनुसार अलाइड हैल्थकेयर पाठ्यक्रमों में फिजियोथैरेपी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से संबंधित क्रियाकलापों व गतिविधियों का संचालन राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में आया है।

आपके विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान राज्य के अंतर्गत जारी अधिनियम के तहत् संचालित किये जा रहे फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री के संचालन की गतिविधियों की अनुमति दी गई है के संबंध में संबंधित दस्तावेजों से राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि भविष्य में कौंसिल द्वारा अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कोर्स संचालन हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने पर नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कौंसिल से मान्यता प्राप्ति से पूर्व प्रवेशित छांत्रो का पंजीयन राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल द्वारा नही किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपके विश्वविद्यालय की होगी।

(उत्तम सिंह शेखावत)
RAS
सचिव

क्रमांकःपं. / राज.स्टेट.अ.हैल्थकेयर कौं. / मान्यता / 2025 / 294 दिनांक :– 17/07/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य के अधिनियम के तहत गठित समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

सचिव